<u>बोर्ड प्रपत्र-20 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश</u>

<u>महत्वपूर्ण :-</u> **"बोर्ड प्रपत्र-20" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।**

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 नम्बर अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। **<u>मौलिक नियुक्ति की तिथि-</u>** का आशय अभ्यर्थी के मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12	इस कालम में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में अर्ह／अनर्ह अंकित किया जायेगा।
13	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा एडवान्स मैकेनिक कोर्स उत्तीर्ण करने का दिनांक अंकित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कोर्स उत्तीर्ण करने की प्रविष्टि एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी की चरित्र पंजिका में चस्पा है।
14	**<u>सेवा अवधि-</u>** का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
15	
16	
17	इन कालमों में क्रमश: भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षो के वार्षिक गोपनीय मन्तव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2005 का वार्षिक गोपनीय मन्तव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2005- 01-01-2005 से 30-04-2005 अति उत्तम 01-05-2005 से 31-12-2005 अच्छा
18	
19	
20	
21	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मन्तव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
22	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।

23	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
24	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
25	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
26	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
27	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
28	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
29	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
30	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
32	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
33	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
34	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
35	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
36	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
38	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
39	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
40	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2012 दिनांक 30-06-2014
41	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
42	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
43	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
44	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-12-2015 नियत है।
45	इसमें जॉच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
46	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

47	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
48	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 30-06-2014 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
49	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-07-2014

<u>सामान्य निर्देश :-</u>

1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।

2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।

3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।

4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।

5- उपर्युक्त सूचनायें मात्र बोर्ड प्रपत्र को भरने के लिये मार्गदर्शन हेतु हैं। अतः अद्यावधिक सूचना सेवाभिलेखों एवं तकनीकी सेवायें मुख्यालय के दिशा–निर्देश के आधार पर भरी जायेंगी।

6- एक पृष्ठ पर एक अभ्यर्थी की ही सूचना अंकित की जायेगी।

7- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।